रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012022-232393 CG-DL-E-04012022-232393

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] No. 3] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 4, 2022/पौष 14, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 2022/PAUSHA 14, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2022

सा.का.िन 3(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.िन.45 (अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) राज्यों में चूना भट्टियों में पेट कोक की बिक्री तथा उपयोग को अधिसूचित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के उपाबंध के रूप में संलग्न की गई सूची में उल्लिखित औद्योगिक इकाइयों को ही केवल पेट कोक की बिक्री की जाती है और उक्त सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से किया जाएगा;

और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राजस्थान राज्य सरकार की सिफारिश पर उक्त अधिसूचना के उपाबंध में **7 चूना भट्टियों की दो इकाइयों** को और जोड़ने का अनुमोदन किया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, उपाबंध में, क्रम सं. 446 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तर्विष्ट की जाएंगी अर्थात्:-

	मैसर्स मां पावर्ती	के. सं. 165, ग्राम: बसनी हरी सिंह, तहसील:	5	3000	6300	600
"447	लाइम वर्क्स	भोपालगढ़, जिला: जोधपुर, राजस्थान				

26 GI/2022 (1)

4	448	मैसर्स स्काईलर	के.सं.1581/529, प्रेम नगर, तहसील-खिनवसर,	2	1250	2500	250
		मिनरल्स	जिला-नागौर, राजस्थान				

[फा. सं. क्यू-16017/04/2018-सीपीए(पार्ट)]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. सा.का.नि. 45 (अ) तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 495 (अ), तारीख 25 मई, 2018, सा.का.नि. 397 (अ), तारीख 31 मई, 2019, सा.का.नि. 906 (अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2019, सा.का.नि. 113 (अ), तारीख 14 फरवरी, 2020, सा.का.नि. 714 (अ), तारीख 13 नवम्बर, 2020, सा.का.नि. 46 (अ), तारीख 22 जनवरी, 2021 और सा.का.नि. 350 (अ), तारीख 28 मई, 2021 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2022

G.S.R. 3(E).—Whereas, sale and use of pet coke in lime kilns in the National Capital Region (NCR) States was notified *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018, wherein sale of pet coke are made only to the industrial units mentioned in the list annexed to the said notification as Annexure and any change in the said list shall be made on the recommendation of the concerned State Government and with the approval of the Central Pollution Control Board;

And whereas, on the recommendation of the State Government of Rajasthan, the Central Pollution Control Board has approved further addition of **two units of seven lime kilns** in the Annexure of the said notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the said notification, namely:-

In the said notification, in the Annexure, after serial number 446 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

"

447	M/s. Maa Parwati Lime Works,	K. No. 165, Village- Basni Hari Singh, Tehsil- Bhopalgarh, Distt- Jodhpur, Rajasthan	5	3000	6300	600
448	M/s. Skylar Minerals,	K. No. 1581/529, Prem Nagar, Tehsil- Khinvsar, Distt- Nagaur, Rajasthan	2	1250	2500	250

[F. No. Q-16017/04/2018-CPA(pt)]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Note : The principle notification was published *vide* number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 495(E), dated the 25th May, 2018, G.S.R. 397(E), dated the 31st May, 2019, G.S.R. 906(E), dated the 12th December, 2019, G.S.R. 113(E), dated the 14th February, 2020, G.S.R. 714(E), dated the 13th November, 2020, G.S.R 46(E), dated the 22nd January, 2021 and G.S.R 350(E), dated the 28th May, 2021.